

१। ३  
 ५ बुलाय उपरिचय/पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार  
 प्रभारों है। बालानगर विभाग-४-५ को पेश की है ✓

किरम  
 लय

8 1/25 - पत्रावली रिसा हुई। वहां कागज जमा किया।  
 री. का. नं. 1, 2, 4 वकील की कॉर से कागज  
 जमा करा गया। री. का. नं. 3, 5 की कागज री.  
 री. का. नं. 1 की रकौद रिसा की। री. का. नं. 1 की रकौद री.  
 जमा कर 30 दिवस के आधिक धीरे के कारण री. का. नं.  
 नं. 3, 5 को लालपुत्र सूचना उप. नं. 1 की धीरे पर रकौद  
 सिद्धांत से पक्षीय उम्मीदों कागज में लगे नहीं हैं।  
 पत्रावली वास्तविक रूप में 24-11-25 की  
 रेशदी है।

24 1/25 पत्रावली रिसा हुई। कायलान व सायलान वकील  
 उप. कायलान वकील के अग्रगत कागज कि कायलान  
 व सायलान वकील प्रकरण जारी नहीं चलाना चाहिए  
 है। कायलान व सायलान वकील के प्रकरण नीचे  
 के खारिज करना चाहिए। क्र. मुं. नं. 214/2014  
 राधेश्याम T.D. राधेश्याम वकील वकालत पूरण नहीं की है  
 के खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल उपर  
 के क्र. नम्बर से कम है।

Notings  
 12/10  
 राधेश्याम



राजेश कुमार  
 बालानगर विभाग-४-५  
 को पेश की है